न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 09/2010

अपीलान्ट

1 बाबूलाल पुत्र गुनजी
2 बंशीलाल पुत्र गुनजी
3 मनोहर पुत्र गुनजी
4 भुण्डाराम पुत्र भंवरलाल अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता लक्ष्मी पत्नी भंवरलाल
5 लक्ष्मी पत्नी भंवरलाल
6 चांदादेवी पुत्री गुनजी जातिगण सैन निवासीगण बर तहसील रायपुर जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 चम्पालाल पुत्र मांगीलाल
2 सोहनलाल पुत्र मांगीलाल
3 ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जातिगण सैन निवासीगण डाक बंगले की पीछे, नहर के पास, बर तहसील रायपुर
4 शांतिदेवी पत्नी पुखराज के का0मु0
4.1 पुखराज पुत्र नामालूम
4.2 अमरचन्द पुत्र पुखराज
4.3 राजूकंवर पुत्री पुखराज
4.4 सीतादेवी पुत्री पुखराज
4.5 कमला पुत्री पुखराज जातिगण सैन निवासीगण राणावास तहसील मारवाड जंक्शन
5 मदनलाल पुत्र घेवरजी
6 शांतिलाल पुत्र घेवरजी
7 किशन पुत्र घेवरजी
8 मोतीलाल पुत्र गंगाराम
9 अमरलाल पुत्र गुलाब
10 सुरेश पुत्र गुलाब जातिगण सैन निवासीगण बर तहसील रायपुर
11 तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2008 बअनवान बाबूलाल वगैरा बनाम चम्पालाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। ग्राम बर के खसरा नम्बर 200 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। यह भूमि पूर्व में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज चजरा बेटवा छोटा के नाम से दर्ज थी, जिसकी रसीदे तत्कालीन सरकार नीमाज ठिकाना द्वारा जारी की हुई है। चतरा के तीन पुत्र गंगाराम, गुणाराम व मांगीलाल थे तथा संयुक्त हिन्दू परिवार से शासित थे। चतरा फौत होने पर उक्त भूमि का सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा चतरा के सबसे बडे पुत्र गंगाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जबकि मौके पर तीनों भाईयों का संयुक्त कब्जा काश्त था। जिसके प्रमाण स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा गिरदावरी आदि दस्तावेजात् की प्रतियां प्रस्तुत की है। कालान्तर में खसरा गिरदावरी में मात्र खातेदार के नाम का ही इन्द्राज किया जाने लगा, तब से अपीलाण्ट्स का नाम गिरदावरी से विलुप्त कर दिया गया, जबकि मौके पर आज भी अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। इस तथ्य को गंगाराम के वारिशान द्वारा दिनांक 29.03.1987 की लिखत में स्वीकार किया है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने में पक्षकारान के टाईटल के प्रश्न को अवधारित कर निर्णय पारित किया, जबकि इस प्रकरण में मात्र अधीनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया जाना था। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में गंगाराम का नाम दर्ज है, जबकि हिस्से अनुसार मौके पर अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स काबिज काश्त है। यदि रेस्पोडेन्ट्स राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि की भौतिक स्थिति में परिवर्तन करते है अथवा बेचान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हस्तान्तरण कर देते है, तो अपीलाण्ट्स को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक वादस्थ भूमि को प्रोटेस्ट किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट्स काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स द्वारा खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया है, जिसका आधार स्वरूप उक्त भूमि को संयुक्त खातेदारी की होना बताया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने तथ्यों के समर्थन में जैर अपील वादस्थ भूमि को पुश्तैनी होने बाबत किसी प्रकार के साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किए, जिसके कारण प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की है, जिसमें हमारा कब्जा साबित हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रसीदें प्रस्तुत की है, वे जैर अपील वादस्थ भूमि की ही हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में साबित नहीं होना मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसका मुख्य आधार जैर अपील वादस्थ भूमि अपनी पुश्तैनी होना तथा कर्ता खानदान के रूप में चतरा के सबसे बड़े पुत्र गंगाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने तथा चतरा के वारिश होने से अपीलाण्ट्स को अपने हक हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पेज संख्या 2 में चतरा की जो वंशावली प्रस्तुत की है, उसे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है तथा सिलसिलेवार हुए बेचानों का उल्लेख करते हुए यह जाहिर किया कि उक्त भूमि पूर्व में गंगाराम के नाम ही दर्ज थी, जो गंगाराम के पश्चात उनके पुत्रों में अन्तरित हुई है। इसके अतिरिक्त जो बेचान हुए है, उनको निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की गई हो, ऐसा तथ्य रेकर्ड पर नहीं है। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि जैर अपील वादस्थ भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट्स के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इस सम्बन्ध **2013(2) RRT Page 828 Rameshi vs. Kajod & ors** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212-temporary Injunction application rejected & affirmed by the appellate Court-Land not recorded in the Khatedari of the plaintiff- No. T.I. can be granted against the recorded

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

khatedar- Possession of non-petitioners no. 3 & 4 would be treated after the death of 'B'- Petitioner failed to prove possession- objection raised can only be decided during trail- Concurrent judgments- Held, No illegality or perversity in the order. **2012(2) RRT Pg. No. 1439 Pooran Chand & ors. V/s. Gopal Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Trail court restrained both the parties but RAA Dismissed the application of the petitioners – Land recorded on Khatedari of GP – No Revenue entry in favour of the petitioners – Khatedari of 'GP' is based in the registered sale deed Appellate court not found the Prima facie case in favour of the petitioner 'KP' & ors. – Concurrent finding regarding Khatedari & possession – No T.I. can be granted against the recorded Khatedar holding possession – Held, R.A.A. has not committed any illegality or jurisdictional error.(Para's 7,8). **RRT 2015(1) Pg. No. 633 Awtar Khan V/s. Mehar Bano & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Applications dismissed – Respondent No. 1 & 2 are the recorded Khatedar of the land & no temporary Injunction can be granted – Concurrent finding – Limited scope – Held, No material illegality or jurisdictional error in the order. (Para's 8,9). **RRT 2014(2) Pg. No. 1301 Goparam & ors V/s. Harima Ram & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Application for granting T.I. was dismissed – Defendants / non-applicants are the recorded Khatedar of the land & they are in possession of the land – Concurrent findings – Held, No T.I. can be granted & order suffered with no irregularity or illegality.(Para 7). **RRT 2004(1) Pg. No. 587 Kaushlya V/s.Chotu & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- P&N purchased the land from non-petitioner nos. 1 to 3 who subsequently sold to non-petitioners nos. 5 to 9 & they are in possession of land – No Possession of plaintiff – 1/5 share claimed by plaintiff in property being ancestral – No prima facie, or balance of convenience in favour of petitioners – Held, no illegality or irregularity in the order of R.A.A. (Para's 7,8). **RRT 2009(2) Pg. No. 1393 Dhupa V/s. Mamman & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212 & 230 - Application for granting T.I. rejected in absence of the prima facie case – revision – Non-Petitioners are recorded Khatedar of the disputed land & they are in possession – No proof produced to show possession – Concurrent finding – Held, No case made out for interference.(Para's 8,9). अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में समग्र रूप से यह विवेचित किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि गंगाराम की खातेदारी होकर विविध प्रकारों से रेस्पोडेन्ट्स को अन्तरित होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है तथा अपीलाण्ट्स के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दर्शित नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2008 बअनवान बाबूलाल वगैरा बनाम चम्पालाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

30.12.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली